तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म में

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं पेशशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया। चूँकि विवादित पक्षकारान प्रार्थीगण के आवागमन हेतु (कृषि भूमि ख.नं. 672/1 में) सहमति से रास्ता करवाना चाहते है तथा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले दोगुनी भूमि प्रार्थीगण देने को व अप्रार्थीगण लेने को तैयार है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

निर्णय

प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख०नं. 672/1 तन ग्राम लाखनी में आवागमन हेतु लाखनी से रींगस आने वाली सड़क से भूमि ख०नं. 669 की दक्षिणी सीमा पर अवस्थित सड़क से भूमि ख०नं० 669 के दक्षिणी पूर्वी कोने से ख०नं. 669 की पूर्वी सीमा के अन्दर सहारे-सहारे 400 वर्गमीटर, लम्बाई में 100 X चौड़ाई मे 4 मीटर उत्तरी तरफ भूमि ख०नं. 671 की पूर्वी सीमा के अन्दर सहारे-सहारे 200 वर्गमीटर, लम्बाई मे 50 X चौड़ाई मे 4 मीटर भूमि ख.नं. 672/1 की सीमा तक राजस्व रेकार्ड में गै० मु० सिवायचक रास्ता नजरी नक्शा अनुसार दर्ज किया जावे। उक्तानुसार गै० मु० सिवायचक दर्ज होने वाली रास्ता भूमि को अप्रार्थी सं. 5 से मुक्त किया जावे। उक्त रास्ता भूमि के बदले अप्रार्थीगण नं.1 ता 5 को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख०नं. 672/1 रकबा 0.32 है० में से भूमि ख०नं० 671 व 669 के लगते हुए सीमा के सहारे-सहारे 1200 वर्गमीटर भूमि का बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार उक्त 1200 वर्गमीटर भूमि से प्रार्थीगण नं.1 ता 9 व मृतक महादेव पुत्र नारायण, सुरजी पत्नी रामनाथ का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया किया

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	जाता है। उक्तानुसार रास्ता मे आने वाली भूमि को अप्रार्थी सं० 5 से रहन मुक्त किया जाकर अप्रार्थी सं० 1 ता 4 की शेष भूमियों पर अप्रार्थी सं० 5 का रहन दर्ज किया जावे तथा रास्ते के बदले अप्रार्थी सं० 1 ता 4 के दर्ज होने वाली भूमि को अप्रार्थी सं. 5 ता 8 से रहन मुक्त कर प्रार्थीगण की शेष भूमि पर अप्रार्थी सं० 5 ता 8 का रहन दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	5627 19-6-18
	11/6/18 भागीरथ साख उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner